(13)

परिषद् के मुख्यालय 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में दिनांक 1 नवम्बर, 1976 को 11-00 बजे पूर्वान्ह में हुई उ0प्र0आवास एवं विकास परिषद् की वर्ष 1976 की पाँचवी बैठक का कार्यवृत्त ।

निम्नलिखित उपस्थित थे :-

1)	श्री वी0एस0कटारा	आयुक्त एवं सचिव, स्वायत्त शासन विभाग	अध्यक्ष
2)	श्री वी0एन0चन्ना	आवास आयुक्त	सदस्य
3)	श्री आर0आर0शाह	प्रशासक, नगरमहापालिका, लखनऊ	सदस्य
4)	श्री सत्तार अहमद		सदस्य
5)	श्री गुलाब सेहरा		सदस्य
6)	श्री अरविन्द वर्मा	विशेष वित्त सचिव, वित्त विभाग (वित्त सचिव के प्रतिनिधि)	सदस्य
7)	श्री बी0एन0स्वरूप	आयुक्त एवं सचिव, निवास विभाग	सदस्य
8)	श्री जे0पी0दुबे	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक	सदस्य

2- बैठक की कार्यवाही पर विचार-विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

क्र0सं0	विषय	संकल्प संख्या	निर्णय
1)	परिषद् की दिनांक 27 जुलाई, 1976 को हुई वर्ष 1976 की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि ।	V/(1)/76	परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से दिनांक 27 जुलाई, 1976 को हुई वर्ष 1976 की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त की, संकल्प संख्या-14 में निम्न संशोधन के साथ पुष्टि की गयी : " परिषद् में एक सहायक निदेशक(पब्लिसिटी-कम-पब्लिक रिलेशंस) के पद के सृजन के संबंध में विचार-विमर्श के पश्चात् परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सहायक निदेशक (पब्लिसिटी-कम-पब्लिक रिलेशंस) का एक पद वेतनमान रु0 550-1200 में 31-1-1977 तक के लिये सृजित किया जाय " ।
2)	परिषद् की वर्ष 1976 की चतुर्थ बैठक दिनांक 27 जुलाई, 1976 के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट ।	V/(2)/76	परिषद् ने वर्ष 1976 की चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त की अनुपालन रिपोर्ट का अवलोकन किया । साथ ही सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि अनुपालन रिपोर्ट में, पिछली बैठक से पूर्व के निर्णयों के संबंध में यदि किसी मद विशेष पर कार्यवाही अवशेष हो, तो उसका भी उल्लेख किया जाय ।
3)	सामान्य सेवा विनियमों में संशोधन ।	V/(3)/76	परिषद् ने सर्वसम्मति से सामान्य सेवा विनियमों में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया ।
4)	परिषद् द्वारा निर्धन व्यक्तियों के लिये भवन बनाने की योजना के सम्बन्ध में ।	V/(4)/76	परिषद् द्वारा निर्धन व्यक्तियों के लिये भवन बनाने की योजना के संबंध में गठित उप-समिति की बैठक दिनांक 3-8-76 की रिपोर्ट का परिषद् ने अवलोकन किया तथा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में आवास आयुक्त यथोचित कार्यवाही स्वयं कर लें ।
5)	मुख्यालय पर फर्राश, चौकीदार तथा स्वीपर के अतिरिक्त पदों का सृजन ।	V/(5)/76	परिषद् ने सर्वसम्मति से मुख्यालय पर एक फर्राश, एक चौकीदार तथा 2 स्वीपर के अतिरिक्त पदों की नियुक्ति की तिथि से सृजन की स्वीकृति दी । भविष्य में इस प्रकार के मामलों में जिनमें वित्तीय भार का प्रश्न सन्निहित हो अनुमानित व्यय आदि का विवरण अवश्य दिया जाये ।

कार्य आरम्भ करने से पूर्व अध्यक्ष महोदय ने बैठक में सभी उपस्थित सदस्यगणों को उन परिस्थितियों से अवगत कराया जिनके कारण यह बैठक पिछली बैठक से 60 दिन के अन्दर नहीं रखी जा सकी ।

1	2	3	4
6)	जीवन बीमा निगम से प्राप्त रुपया 200 लाख के ऋण शासन की गारन्टी पर ऋण की अदायगी तक चलते रहने हेतु अनुरोध किया जाना ।	V/(6)/76	परिषद् ने सर्वसम्मति से जीवन बीमा निगम से प्राप्त रु० 200 लाख के ऋण शासन की गारण्टी पर ऋण की अदायगी तक चलते रहने के लिये जीवन बीमा निगम से अनुरोध करने की सहमति दी ।
7)	शासन की गारन्टी रहित रुपया 1 करोड़ के ऋण-पत्र जारी करने की अतिरिक्त स्वीकृति ।	V/(7)/76	परिषद् ने सर्वसम्मति से शासन की गारण्टी रहित रुपया एक करोड़ के अतिरिक्त ऋण-पत्र निर्धारित शर्तों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष में जारी करने तथा निक्षेप निधि की व्यवस्था करने की अनुमति प्रदान की ।
8)	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, रुद्रपुर के लिये हडकों से रु० 10 लाख का ऋण ।	V/(8)/76	परिषद् ने सर्वसम्मति से भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, रुद्रपुर के लिये हडकों से रु० 10 लाख का ऋण निर्धारित शर्तों पर लेने की स्वीकृति दी तथा राज्य सरकार से हडकों को गारण्टी देने हेतु किये गये अनुरोध की कार्योत्तर स्वीकृति देते हुये राज्य सरकार को काउण्टर गारण्टी देने की सहमति प्रदान की ।
9)	भूमि विकास योजना नं०-1, हल्द्वानी (नैनीताल) के लिये हडकों से रुपया 10-20 लाख का ऋण ।	V/(9)/76	परिषद् ने सर्वसम्मति से भूमि विकास योजना संख्या-1, हल्द्वानी के लिये हडकों से रुपया 10-20 लाख का ऋण निर्धारित शर्तों पर लेने की स्वीकृति दी तथा राज्य सरकार से हडकों को गारण्टी देने हेतु किये गये अनुरोध की कार्योत्तर स्वीकृति देते हुये राज्य सरकार को काउण्टर गारण्टी देने की सहमति प्रदान की ।
10)	ई०डब्लू०एस०हाउसिंग स्कीम सेक्टर-3 इन्दिरानगर, लखनऊ योजना के लिये हडकों से रु० 10-70 लाख का ऋण ।	V/(10)/76	परिषद् ने सर्वसम्मति से ई०डब्लू०एस० हाउसिंग स्कीम सेक्टर-3, इन्दिरानगर, लखनऊ योजना के लिये हडकों से रु० 10-70 लाख का ऋण निर्धारित शर्तों पर लेने की स्वीकृति दी तथा राज्य सरकार से हडकों को गारण्टी देने हेतु किये गये अनुरोध की कार्योत्तर स्वीकृति देते हुये राज्य सरकार को काउण्टर गारण्टी देने की सहमति प्रदान की ।
11)	कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम, काशीपुर (जिला नैनीताल) के लिये हडकों से रु० 10-80 लाख का ऋण ।	V/(11)/76	परिषद् ने सर्वसम्मति से कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम, काशीपुर के लिये हडकों से रु० 10-80 लाख का ऋण निर्धारित शर्तों पर लेने की स्वीकृति दी तथा राज्य सरकार से हडकों को गारण्टी देने हेतु किये गये अनुरोध की कार्योत्तर स्वीकृति देते हुए राज्य सरकार को काउण्टर गारण्टी देने की सहमति प्रदान की ।
12)	महामन्द जलाल नगर भूमि विकास योजना, शाहजहाँपुर के लिये हडकों से रु० 9-50 लाख का ऋण ।	V/(12)/76	परिषद् ने सर्वसम्मति से महामन्द जलाल नगर भूमि विकास योजना, शाहजहाँपुर के लिये हडकों से रु० 9-50 लाख का ऋण निर्धारित शर्तों पर लेने की स्वीकृति दी तथा राज्य सरकार से हडकों को गारण्टी देने हेतु किये गये अनुरोध की कार्योत्तर स्वीकृति देते हुये राज्य सरकार को काउण्टर गारण्टी देने की सहमति प्रदान की ।

1	2	3	4
13)	हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (हडको) से ऋण प्राप्त करने हेतु उप-समिति का पुनर्गठन।	V /(13)/76	परिषद ने सर्वसम्मति से हाउसिंग एण्ड अरबन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (हडको) से ऋण प्राप्त करने हेतु गठित उप-समिति में सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, के स्थान पर सचिव, निवास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन (अथवा उनके द्वारा प्रतिनियुक्ति अधिकारी) को सदस्य नामांकित करने को स्वीकृति दी।
14)	कटरा गृहस्थान योजना, बस्ती (क्षेत्रफल 8-13 हैक्टर (20 एकड़) अनुमानित लागत 17-34 लाख)।	V /(14)/76	परिषद ने कटरा गृहस्थान योजना, बस्ती के संबंध में नियोजन समिति के निर्णय पर विचार किया तथा सर्वसम्मति से निर्णय को पुष्टि की।
15)	परिषद को 'हरवंशवाला टी स्टेट भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2, देहरादून' 'क्षेत्रफल-58 एकड़) के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों की सुनवायी के संबंध में नियोजन समिति (केन्द्रीय क्षेत्र, बुन्देलखण्ड क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र) की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।	V /(15)/76	परिषद ने हरवंशवाला टी स्टेट भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, के संबंध में नियोजन समिति के निर्णय पर विचार किया तथा सर्वसम्मति से नियोजन समिति के निर्णय को पुष्टि की।
16)	परिषद को 'कांवली सड़क एवं गृहस्थान योजना, देहरादून' (क्षेत्रफल 21-50 एकड़) के विरुद्ध प्राप्त आपत्तियों की सुनवायी के संबंध में नियोजन समिति (केन्द्रीय क्षेत्र, बुन्देलखण्ड तथा पर्वतीय क्षेत्र) की बैठक के कार्यवृत्त पर विचार।	V /(16)/76	परिषद ने कांवली सड़क एवं गृहस्थान योजना, देहरादून के संबंध में नियोजन समिति के निर्णय पर विचार किया तथा सर्वसम्मति से समिति के निर्णय को पुष्टि की।
17)	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, रामपुर क्षेत्रफल 5-6 हैक्टर (14 एकड़) अनुमानित लागत) रु0 25-21 लाख।	V /(17)/76	परिषद ने भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, रामपुर के संबंध में) नियोजन समिति के निर्णय पर विचार किया तथा सर्वसम्मति से समिति के निर्णय को पुष्टि की।
18)	भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना संख्या-2, रामपुर क्षेत्रफल 13 हैक्टर (33 एकड़) अनुमानित लागत रुपया 30-45 लाख।	V /(18)/76	परिषद ने भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-2, रामपुर के संबंध में नियोजन एवं विकास समिति के निर्णय पर विचार किया तथा सर्वसम्मति से समिति के निर्णय को पुष्टि की।
19)	रेलवे स्टेशन कैन्ट के करीब भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, सीतापुर (क्षेत्रफल 53-5 एकड़ अनुमानित लागत रुपया 38 लाख)।	V /(19)/76	परिषद ने रेलवे स्टेशन केन्ट के करीब भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना, सीतापुर के संबंध में नियोजन एवं विकास समिति के निर्णय पर विचार किया तथा सर्वसम्मति से नियोजन समिति के निर्णय को पुष्टि की।
20)	बुलन्दशहर मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, हापुड़ क्षेत्रफल 22-04 एकड़ (8-9318) हैक्टर अनुमानित लागत 25-69 लाख)।	V /(20)/76	परिषद ने बुलन्दशहर मार्ग पर भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना सं0-1, हापुड़ के संबंध में नियोजन समिति के निर्णय पर विचार किया तथा समिति के निर्णय को पुटि की।

1	2	3	4
21)	परिषद् में मानचित्रक के पद नाम एवं वेतनमान में परिवर्तन तथा मुख्य मानचित्रकारों को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने के संबंध में ।	V/(21)/76	परिषद् में मानचित्रक के पद नाम एवं वेतनमान में परिवर्तन तथा मुख्य मानचित्रकारों को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने के संबंध में विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि निम्न सदस्यों की उप समिति द्वारा मामले पर विचार करके निर्णय ले लिया जाय । उप-समिति का निर्णय परिषद् का निर्णय माना जायगा : 1) श्री विवेक नारायण खन्ना, आवास आयुक्त । 2) श्री अरविन्द वर्मा, विशेष वित्त सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन । 3) श्री जे०पी०दुबे, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश ।
22)	समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के भवनों के आवंटियों से मूल्य का 10% प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त न किये जाने के संबंध में ।	V/(22)/76	समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के भवनों के आवंटियों से मूल्य का 10% प्रथम किश्त के रूप में प्राप्त न किये जाने के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आवंटन के समय भवन के मूल्य का 10% न लिया जाय बल्कि पूर्व पंजीकरण हेतु निर्धारित बयाने की धनराशि रु० 500/= की शेष धनराशि रु० 450/= ही आवंटन के समय ली जाय ।
23)	परिषद् की योजनाओं में मध्यम आय वर्ग का एक भवन निरीक्षण कार्यालय हेतु आरक्षित किया जाना ।	V/(23)/76	परिषद् ने सर्वसम्मति से परिषद् की योजनाओं में मध्यम आय वर्ग का एक भवन निरीक्षण कार्यालय हेतु आरक्षित किये जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया । साथ ही आवास आयुक्त को अधिकृत किया कि आवश्यकतानुसार आवास आयुक्त जिन जिन नगरों में उपयुक्त समझें मध्यम आय वर्ग के एक भवन को निरीक्षण कार्यालय हेतु आरक्षित कर सकते हैं ।
24)	परिषद् के कार्य-कलापों की प्रगति ।	V/(24)/76	परिषद् ने टिप्पणी में प्रस्तुत परिषद् के कार्य-कलापों की प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन किया । साथ ही साथ सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि भविष्य में कार्य कलापों की प्रगति रिपोर्ट वर्तमान प्रणाली के अनुसार प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि आवास सचिव, आवास आयुक्त तथा विशेष वित्त सचिव, वित्त विभाग (श्री अरविन्द वर्मा) आपस में विचार विमर्श करके जिस रूप में अधिक उपयुक्त समझें उसी के अनुसार कार्य-कलापों की प्रगति रिपोर्ट भविष्य में परिषद् के समक्ष प्रस्तुत की जाय ।
25)	परिषद् कर्मचारियों तथा परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों की परिषद् की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत दी जाने वाली विशेष सुविधायें ।	V/(25)/76	परिषद् ने सर्वसम्मति से परिषद् कर्मचारियों तथा परिषद् में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों को परिषद् की आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत दी जाने वाली विशेष सुविधाओं के संबंध में यह निर्णय लिया कि पूर्व संकल्प के क्रम में निम्न प्रतिबन्ध भी जोड़ दिये जाय: 1) उपरोक्त सुविधायें केवल उन्ही अधिकारियों/कर्मचारियों को देय होगी जिनकी परिषद् में सेवा अवधि कम से कम दो वर्ष की रही हो ।

1	2	3	4
			(2) इन अधिकारियों/कर्मचारियों को बिना पंजीकरण के दौर को वरिष्ठ के आरक्षण के कोटे को सीमा तक आवंटन किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि आवंटन और आरक्षण को छूट को सुविधा केवल एक ही बार देय होगी।" साथ हो सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया गया कि यदि किसी विशेष अधिकारियों/कर्मचारियों का कार्य परिषद् में असाधारण स्तर का हो तो उन्हें परिषद् को स्वीकृति से इन सुविधाओं के साथ साथ अतिरिक्त छूट भी दी जा सकती है ।
26)	मेट्रोपोलिटन शहरों तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार की संगठित नगर विकास योजना के अन्तर्गत मेरठ शहर को विकास योजना को कार्यान्वित करने हेतु रुपया 100-00 लाख का ऋण ।	V /(26)/76	परिषद् ने सर्वसम्मति से मेट्रोपोलिटन शहरों तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार को संगठित नगर विकास योजना के अन्तर्गत मेरठ नगर को विकास योजना को कार्यान्वित करने हेतु शासन से रु० 100 लाख का ऋण प्राप्त करने के लिये की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया तथा इसको भी स्वीकृति प्रदान की कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल रु० 197 लाख तक के ऋण लेने हेतु यथासमय शासन से प्रार्थना की जाए ।
27)	मकान किराया भत्ता विषयक शासन के पत्र संख्या जी-1-881/दस-76-210/74, दिनांक 22 अप्रैल, 1976 के संबंध में ।	V /(27)/76	परिषद् ने सर्वसम्मति से मकान किराया भत्ता विषयक शासन के पत्र संख्या जी-1-881/दस-76-210/74, दिनांक 22 अप्रैल, 1976 के संबंध में यह निर्णय लिया कि आवास आयुक्त तथा श्री अरविन्द वर्मा (विशेष वित्त सचिव, वित्त विभाग) की उप समिति द्वारा मामले पर विचार-विमर्श करके निर्णय ले लिया जाये । इस उप-समिति का निर्णय परिषद् का निर्णय माना जायेगा ।
28)	अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय ।	V /(28)/76	रीजिनल सेन्टर फार रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इन म्युनिसपल ऐडमिनिस्ट्रेशन, लखनऊ युनिवर्सिटी, के निदेशक के पत्र संख्या यू०आर०जी०/3357/2/76 जो आवास आयुक्त को प्राप्त हुआ है, के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने परिषद् को अवगत कराते हुये यह बतलाया कि यह प्रशिक्षण संस्थान परिषद् के लिये भी लाभदायक है । विचार-विमर्श के समय आवास आयुक्त ने बतलाया कि इस सेन्टर द्वारा परिषद् के 2 प्रोजेक्ट्स का प्रशिक्षण कराने तथा उनकी संस्तुति मांगने का अनुरोध किया गया है । एक प्रोजेक्ट के संबंध में उनकी संस्तुति प्राप्त भी हो गया है । इस कार्य को सेन्टर द्वारा बिना किसी फीस आदि के किया जा रहा है । यदि फीस आदि ली जाती तो इस कार्य पर काफी व्यय होता । आवास सचिव ने अपना यह मत व्यक्त किया कि यदि यह सेन्टर वास्तव में परिषद् के लिये भी उपयोगी सिद्ध है और उनके सहयोग से परिषद् अपने कुछ कार्यों को कराने में वास्तव में सफल है जिसके लिये उक्त सेन्टर कोई फीस आदि भी नहीं ले रही है तो अगले वर्षों में इस सेन्टर को इससे अधिक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये । परिषद् ने आवास सचिव के इस सुझाव का समर्थन करते हुये तथा सभी बातों पर विचार करके सर्वसम्मति से इस संस्थान को इस वर्ष रु० 2,500/= की आर्थिक सहायता देने

कृ०पृ०उ०

1	2	3	4
		/जाय	के लिये स्वीकृति प्रदान की । साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया कि यदि आगे अनुदान देने की आवश्यकता समझी/तो आवास आयुक्त पुन: इस मामले को परिषद् के समक्ष ला सकते हैं ।
		(2)	अध्यक्ष महोदय ने वर्तमान गठित आवंटन समिति के संबंध में परिषद् को अवगत कराया । विचार विमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि गठित समिति में 2 अशासकीय सदस्यों के स्थान पर एक अशासकीय सदस्य तथा सक ऐसे/व्यक्ति को सदस्य रखा जाय जिसे आवास आयुक्त समिति में रखना उपयुक्त समझें ।
		/शासकीय	
		(3)	अध्यक्ष महोदय ने सहायक निदेशक(पब्लिसिटी-कम-पब्लिक रिलेशंस) के लिये स्टाफ के पदों के सृजन का भी प्रस्ताव रखा । विचार-विमर्श के पश्चात् परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से सहायक निदेशक (पब्लिसिटी-कम-पब्लिक रिलेशंस) के लिये निम्नलिखित स्टाफ की स्वीकृति उनके सम्मुख उल्लिखित वेतनमान में दी गयी : (1) आशुलिपिक वेतनमान 300-500 एक (2) चपरासी वेतनमान 165-215 एक

(signature) (signature)